



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवा तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimcoefrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू०पी०/०६/३४/२०१८/एफ.सी./327

दिनांक : 28.08.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Others/13881/2015

विषय: कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 4047/11-सी-FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांक 26.06.2023. महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ०प्र० के पत्रांक 619/14-2-2017-800(56)/2017, दिनांक 03.08.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 10.04.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है। प्रकरण को दिनांक 10.08.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 8.5 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में विभिन्न प्रेक्षाओं के अभाव में प्रकरण को आस्थगित (defer) कर दिया गया है।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के निर्णयानुसार निम्नलिखित जानकारी/सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

- 1- Violation of FCA, 1980 shall be stopped immediately.
- 2- Show cause notice shall again be issued by DFO to Nyara Energy for reply of previous show cause notice.
- 3- Senior official of Nyara Energy shall be present in next REC Meeting.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
4. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़।
5. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, से०-3, नोएडा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)